



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224229
CG-DL-E-06012021-224229

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]
No. 31]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/PAUSHA 15, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2021

का.आ. 31(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.S.O. 3613(अ) दिनांक 15 अक्टूबर 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य में NH-45E & NH-220 के कि.मी. 2+750 से कि.मी.73+400 तक & कि.मी. 215+500 से कि.मी.273+600 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण(चौड़ा करने / दो लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "थी हिन्दू" को "दिनांकन" और "28th अक्टूबर 2020" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

जिले में एनएच 220की भूमि के खंड Km 215 + 500 से Km 273 + 600 जिला राजस्व अधिकारी, थेनीतमिलनाडु के तहत गिरने वाली जमीन को अधिग्रहित करने का संक्षिप्त विवरण। यह भूमि पर NH-45 एक्सटेंशन और NH-220 का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन है। यह भूमि निर्माण(चौड़ीकरण / टू-लेनिंग, इत्यादि) के लिये खंड 2 + 750 से किलोमीटर 73 + 400 और किमी 215 + 500 से किलोमीटर 273 + 600 अधिकृत की जानी है ।

राज्य का नाम: तमिलनाडु			जिले का नाम: थेनी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: थेनी				
	गांव का नाम: अपरपाटी				
1	116/1A	निजी	ड्राई	0.0625	पत्ता नो 3471 अरु लोगनाथं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओ बी स द स/ओ अरुणाचलम ()
			कुल	0.0625	

[फा. सं. REGD.No. D.L.-23004/99/3D3]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2021

S.O. 31(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3613(E) dated 15th October 2020 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-45E and NH-220 on the stretch of land from Km 2+750 to Km 73+400 and from Km 215+500 to Km 273+600 respectively in the state of TAMIL NADU.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Hindu” and “Dinakaran” both dated 28th October 2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-220 in the stretch of land from Km 215+500 to Km 273+600 (under Special District Revenue Officer, NH-220, Theni) of NH-220 in the district of THENI in the state of TAMIL NADU for building (widening/two-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-45 Extn and NH-220 on the stretch of land from Km 2+750 to Km 73+400 and from Km 215+500 to Km 273+600 respectively in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: THENI		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Theni				
	Village: UPPARPATTI				
1	116/1A	Private	Dry	0.0625	Patta No - 3471 Aru. Loganathan, Managing Director of O.B.C.D, s/o Arunachalam
			TOTAL	0.0625	

[F. No. REGD.No. D.L.-23004/99/3D3]

RAJESH GUPTA, Director